कार्यालय संचालक म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान कलियासोत बांध के पास, कोलार रोड

भोपाल

क. वाल्मी / 03 / टी.एस / 2018-18 /

भोपाल दिनांक

/2/2019

आदेश

म.प्र. शासन, वित विभाग परिपत्र कमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 24.1.2008 में निहित प्रावधानों अनुसार संस्थान के निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

स. क.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति दिनांक	देयता तिथि	प्रथम समयमान वेतनमान	द्धितीय समयमान वेतनमान
1	श्रीमती रुपरानी सक्सेना	सहायक वर्ग–3	29.10.1991	29.10.2011		5200-20200 +
2	श्री संतोष वर्मा	सहायक वर्ग3	29.10.1991	29.10.2011		520020200 + ग्रे.पे. 2800
3	श्री सुरेश कुमार शर्मा	सहायक वर्ग-3	6.5.1992	6.5.2012		520020200 + ग्रे.पे. 2800
4	श्री शेषमणि मिश्रा	सहायक वर्ग–3	22.2.1993	22.2.2013		5200—20200 + ग्रे.पे. 2800
5	श्री विजय कुमार शर्मा	सहायक वर्ग–3	1.4.2003	1.4.2013	5200-20200 + ग्रे.पे. 2400	

- 1. समयमान वेतन स्वीकृति पश्चात वेतन वृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नित की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुये किया जायेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा है तथा उसे समयमान वेतनमान के वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला है।
- 2. समयमान वेतन के फलस्वरुप कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई वसूली की स्थिति हो तो पहले वसूली की जायेगी।

4. म.प्र. शासन, वित विभाग परिपत्र कमांक एफ11/1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 24.1.2008 में निहित प्रावधान यथा स्थिति लागू होंगे।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

प्रशासकीय अधिकारी वाल्मी भोपाल भोपाल दिनांक 12/2/2019

क. वाल्मी / 03 / टी.एस / 2018–18 / 🗸 🗷 🧷 प्रतिलिपिः

1. श्री / श्रीमती (संबंधित) की ओर सूचनार्थ।

2. लेखाशखा, वाल्मी भोपाल।

स्थापना शाखा (व्यक्तिगत नस्ती) वाल्मी भोपाल।

🗻 वेबसाइट समिति, वाल्मी भोपाल।

5. गार्ड नस्ती।

6. निज सहायक (संचालक कक्ष) वाल्मी भोपाल।

प्रशासक्य अधिकार वाल्मी भोपाल